

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:-932 / 2021

दाउदनगर थाना कांड संख्या :-538 / 2021

10.03.2022

ट्रैक्टर निबंधन सं0-BR51G4124 के स्वामी मंजु देवी की ओर से शक्ति पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित, खनन विभाग से राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की माँग किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन पर बालू चोरी कर राजस्व की हानी करने का आरोप है । अतः जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वाहन के द्वारा सरकारी राजस्व की क्षति की गई है, से सम्बन्धित हरजाना की राशि आवेदक को कितना देय होगा, से सम्बन्धित प्रतिवेदन दिनांक-24.03.2022 तक समर्पित करें । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति जिला खनिज पदाधिकारी को निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।